अतिआवश्यक/ई-मेल के माध्यम से

कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश
(कम्प्यूटर कक्ष)

पत्रांक-कम्पयूटर- 467 /2015-16/दिनांक लखनऊ 07 ,अप्रैल 2016

समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक,
कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश।

कृपया निदेशालय के पत्रांक-कम्प्यूटर 184 दिनांक 29 जुलाई 2015 तथा पत्रांक-कम्प्यूटर 230 दिनांक 08 सितम्बर 2015 का अवलोकन करें, जो पारदर्शी किसान सेवा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कृषकों का अधूरा विवरण पूर्ण कराने विषयक है।

उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि कृषि विभाग की समस्त योजनाओं में किसानों को पंजीकृत करने के पश्चात ही उन्हे विभागीय योजनाओं का लाभ दिये जाने का निर्णय शासन ने लिया है इसलिये आवश्यक है कि किसानों का शतप्रतिशत पंजीकरण कराया जाय। किन्तु इससे भी आवश्यक यह है कि किसानों का पंजीकरण करते समय उनका व्यक्तिगत, खतौनी तथा बैंक खाते का विवरण वेबसाइट पर त्रुटिरहित फीड हो।

आपने रबी बीज का डी0बी0टी0 करते समय यह महसूस किया होगा कि पंजीकृत कृषकों के विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर किसानों के साथ ही विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को भी लाभ वितरण में कितनी कठिनाई होती है। पंजीकृत कृषकों के विवरण का परीक्षण करने पर पाया गया कि सभी जनपदों में ऐसे किसान भी पंजीकृत हैं जिनका बैंक का विवरण उपलब्ध नहीं है। जिन किसानों का बैंक का विवरण उपलब्ध नहीं है, उनकी जनपदवार संख्या संलग्न सूची में दी गयी है। जबकि किसानों के बैंक खाते में सीधे लाभ अंतरित करने के लिये बैंक का विवरण होना नितान्त आवश्यक है।

अतः आपसे पुनः अपेक्षा है कि आप **अपने जनपद के पंजीकृत कृषकों का अधूरा विवरण तुरन्त पूर्ण करायें** तथा जिन कृषकों का विवरण मूल अभिलेखों से मिलान नहीं हो पाया है उनका मिलान करा लें। जिन किसानों के बैंक खाते का विवरण अंकित नही है, उनकी सूची आपके लागइन पर दी गयी है। आप ऐसे किसानों के बैंक विवरण तुरन्त फीड करवा दें तथा **किसानों को प्रेरित करें कि वे अपना आधार नम्बर एंव किसान केडिट कार्ड का नम्बर पंजीकरण के समय जरूर अंकित करायें**, ताकि उन्हें विभागीय योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त हो सके तथा आपको भी किसानों के खाते में लाभ अंतरण में कठिनाई का सामना न करना पड़े।

संलग्नक-उपुर्यक्तानुसार।

(मुकेश कुमार श्रीवास्तव)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-कम्प्यूटर- 467 लखनऊ दिनांक उक्त। 07/4
प्रतिलिपिः-

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशकों को इस आशय से कि वे अपने स्तर पर अनुश्रवण कर पंजीकृत कृषकों के अधूरे विवरण को पूर्ण करायें।
2. मैसर्स अग्रवाल भार्गवा एण्ड एसोसिएट्स, अलीगंज, लखनऊ को इस आशय से कि वे अपने कार्मिकों के माध्यम से किसानों के अधूरे विवरण को पूर्ण कराने में जनपदीय अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

(मुकेश कुमार श्रीवास्तव)
कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

letterddds 01-04-2016 (autosaved)